भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1564
उत्तर देने की तारीख 31 जुलाई, 2024

दूरसंचार अधिनियम के तहत नियमों का निर्धारण

1564 श्री प्रद्युत बोरदोलोईः
श्री तनुज पुनियाः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूरसंचार अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए जाने के संबंध में सिविल सोसायटी, कार्यकर्ताओं, विषय वस्तु विशेषज्ञों और अनुसंधानकर्ताओं के साथ कोई परामर्श किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परामर्श की अवधि, विचार किए जा रहे प्रश्नों और इसमें शामिल हितधारकों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरसंचार अधिनियम में सेवा प्रदाताओं को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को कमजोर करने, तोड़ने या बाधित करने की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी अपेक्षाओं का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुरक्षा की गारंटी के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) मसौदा नियमों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए आधिकारिक राजपत्र में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रकाशित किया जाता है।

(ग) और (घ) यह अधिनियम दूरसंचार में एन्क्रिप्शन और डेटा प्रोसेसिंग के संबंध में मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन संबंधी उपायों की अधिसूचना का प्रावधान करता है।

****